म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भाग – एक

1. संरचना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा सितम्बर 1974 में राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण की दृष्टि से केन्द्रीय अधिनियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। राज्य में कार्यरत् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य उद्धेश्यों में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जनचेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा संपादित किये जाते हैं। बोर्ड का प्रशासनिक ढाँचा निम्नानुसार है :–

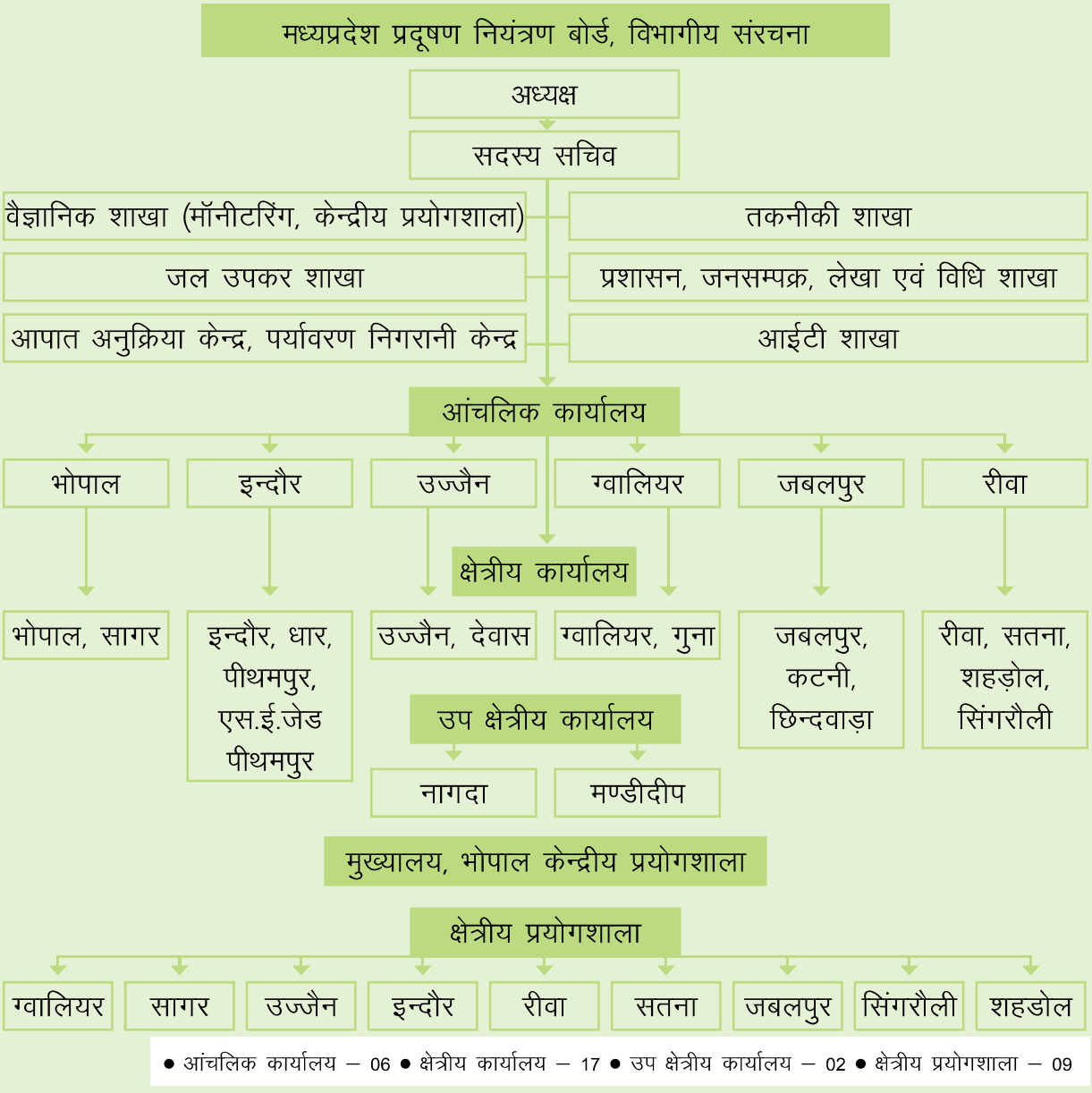

● आंचलिक कार्यालय – 06 ● क्षेत्रीय कार्यालय – 17 ● उप क्षेत्रीय कार्यालय – 02 ● क्षेत्रीय प्रयोगशाला – 09

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के तहत् प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन करता है :–

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
   - 3.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
   - 3.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 2000
   - 3.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016
   - 3.4 ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016
   - 3.5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016
   - 3.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
   - 3.7 ई वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
   - 3.8 फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 1999 यथा संशोधित 2003, 2009 एवं 2016
   - 3.9 केमिकल एक्सीडेन्ड (इमरजेन्सी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एवं रिस्पोंस) नियम, 1996
   - 3.10 ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एवं कन्ट्रोल) नियम, 2000
   - 3.11 अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम, 2016
4. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ठ (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
   - 4.1 मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ठ (नियंत्रण) अधिनियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्त्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों का प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुये पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन–चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते है।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ प्रयोगशालायें भी कार्यरत् हैं।

राज्य बोर्ड के कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंध विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिये व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित् करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण,नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
- मल या व्यवसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिये संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिये ऐसे अन्तरालों पर जैसे आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिये बहिःस्त्रावों मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिये अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषकों के निस्त्राव के लिये मानक अधिकथित करना।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियां निकालना।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियां विकसित करना।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियां विकसित करना।
- सरिताओं या कुओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना।
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएं का प्रदूषण संभाव्य है।
- सरिता या कुएं से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिये प्रयोगशालाऐं स्थापित करना एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय–समय पर सौंपे जायें।

आंचलिक कार्यालयों की स्थापना

मध्यप्रदेश में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों पर निगरानी तथा सहयोग हेतु वर्ष 2017 में 06 नये आंचलिक कार्यालयों क्रमशः भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, इन्दौर व उज्जैन की स्थापना की गई है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व

- उद्योग एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मानिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जाँच कार्य।
- प्राकृतिक जल स्त्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मानिटरिंग।
- पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग।

- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना तथा सम्मति का नवीनीकरण करना।
- वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही।

विशिष्ठ उपलब्धियाँ

पर्यावरण पुरस्कार का वितरण

म.प्र.शासन द्वारा पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले प्रदेश के अत्यन्त प्रदूषकारी उद्योग, सामान्य उद्योग, लघु उद्योग, खदानें, नगर निगम एवं नगरपालिका/परिषद को प्रति वर्ष प्रदान किये जाते है। वर्ष 2017–18 हेतु पर्यावरण पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 24 सितम्बर 2019 को मिण्टो हाल, पुरानी विधानसभा, भोपाल में आयोजित किया गया था तथा निम्नानुसार विभिन्न श्रेणियों में पुरूस्कार प्रदान किये गयेः–

श्रेणी	पुरस्कृत उद्योग/संस्थाऐं
अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग	मेसर्स ट्राईडेंट लिमि., बुधनी, जिला सीहोर।
सामान्य उद्योग	मेसर्स रेडिसन ब्लू होटल, इन्दौर।
लघु उद्योग	मेसर्स मूंदड़ा स्टील रि–रोलिंग मिल, इण्डस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इन्दौर।
उत्खननरत् खदानें	मेसर्स फॉरचून स्टोन लिमि., ग्राम कटहरा जिला छतरपुर।
नगर पालिका निगम	नगर पालिका निगम, जबलपुर।
नगर पालिका परिषद	नगर पालिका परिषद, नागदा।

जल प्रदूषण नियंत्रण

- प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों/सहायक नदियों, तालाबों एवं भू–जल स्त्रोतों से 5296 नमूने एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया, ताकि नदियों की गुणवत्ता पर निगरानी रखते हुए भविष्य में प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएँ तैयार की जा सकें।
- प्रदेश में 22 प्रदूषित नदी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्ययोजना तैयार की गई हैं जो मार्च, 2021 तक क्रियान्वित की जाना है।
- नर्मदा नदी की जल गुणवत्ता का मापन तथा प्रदूषण के स्त्रोतों पर निगरानी हेतु पूर्व में निर्धारित 31 मापन बिन्दुओं को बढ़ाकर 50 किया गया है।
- जन–सामान्य के अवलोकन हेतु जल गुणवत्ता की जानकारी बोर्ड की वेब–साईट पर प्रदर्शित की जा रही है।
- प्राकृतिक जल स्त्रोत गुणवत्ता सूचकांक प्रति माह वेब साइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि जन–सामान्य प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता से भिज्ञ हो सके।
- विभाग की तकनीकी एवं वैज्ञानिकी क्षमता के सुदृढ़ीकरण हेतु आधुनिक तकनीकी के विषय ज्ञान एवं इसके माध्यम से प्रभावी कार्य संपादन हेतु तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है।
- औद्योगिक प्रदूषण की सतत् निगरानी, प्रभावी नियंत्रण तथा जन–सामान्य को जानकारी उपलब्ध हो, इसलिये बोर्ड की वेब–साईट पर जानकारी प्रदर्शित की जा रही है।
- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला की गुणवत्ता में उन्नयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण हेतु (एन.ए.बी.एल.)(डी.एस.टी., भारत सरकार) से आई. एस.ओ/आई.ई.सी.17025:2017 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और दूषित जल एवं परिवेशीय वायु पैरामीटर्स के लिए ऐक्रिडिटेशन का नवीनीकरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य

और सुरक्षा आंकलन श्रृंखला 18001:2007 के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया गया।

- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल में माइक्रो–बॉयोलाजी लैब की स्थापना कराई गई।
- प्रदेश के अत्यधिक प्रदूषणकारी श्रेणी के समस्त उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर से बाहर शून्य निस्त्राव की स्थिति सुनिश्चित की गई हैं।

वायु प्रदूषण नियंत्रण

- वायु प्रदूषणकारी ठोस ईधन उपयोग करने वाले 105 उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना कराई गई। स्टील मेल्टिंग शॉप में इंडक्शन फर्नेस से होने वाले वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 03 उद्योगों में सेकेण्ड्री फ्यूम एक्सटेक्शन सिस्टम की स्थापना कराई गई।
- प्रदेश में सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु बोर्ड द्वारा 05 शहरों क्रमशः ग्वालियर, भोपाल, कटनी, जबलपुर एवं इन्दौर में उपकरण स्थापित कराये गये, इसके अतिरिक्त उद्योगों से सीएसआर के तहत् दमोह, सतना, मैहर, सागर, इन्दौर, अनूपपुर एवं रतलाम में स्थापित कराए गये। जन–सामान्य को परिवेशीय वायु गुणवत्ता की ए.क्यू.आई. उपलब्ध कराने हेतु मोबाईल ऐप ''एनवायर्नमेंट अलर्ट'' लांच किया गया है, इसमें नागरिक आसपास के प्रदूषण की समस्या फोटो सहित भी दर्ज करा सकते हैं।
- औद्योगिक प्रदूषण की सतत् निगरानी हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र में सेन्ट्रल सर्वर एप्लीकेशन (सी.एस.ए.) प्रारंभ की गई है, जिससे बोर्ड की वेब–साईट पर प्रदेश के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की जानकारी जन–सामान्य को उपलब्ध रहे। परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख शहरों में डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना भी कराई गई हैं ।
- बोर्ड द्वारा 14357 वाहनों का उत्सर्जन मापन कर आंकड़े क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये, ताकि परिवहन विभाग वाहनों की फिटनेस पर निगरानी रख सके।
- शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु, ध्वनि मापन के 11913 नमूने एकत्रित कर परिणाम संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश की समस्या के निराकरण एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सिंगरौली में कराया गया।
- उद्योगो से उत्पन्न होने वाले हजार्ड्स वेस्ट डिस्पोजल की जी.पी.एस. आधारित ट्रेकिंग हेतु सॉफ्टवेयर तैयार कर लागू किया गया है।
- प्रदेश के रतलाम औद्योगिक क्षेत्र में चिन्हित 04 अवैधानिक डम्प साईट्स में से 01 साईट का लगभग 789 टन अपशिष्ट का सुरक्षित डिस्पोजल पीथमपुर स्थित कॉमन फेसिलिटी में कराया गया।

- हजार्ड्स वेस्ट के प्रभावी प्रबंधन हेतु प्रदेश का इंटीग्रेटेड एक्शन प्लॉन तैयार किया गया है ।
- प्रदेश का 38474 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा को–प्रोसेसिंग हेतु सीमेंट उद्योगों को भेजा गया।
- प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नगरीय निकायों के समन्वय से 1328 जन–जागृति कार्यक्रम, 14380 छापामार कार्यवाही करते हुए 72.76 मीट्रिक टन कैरी बैग जप्त किये गये तथा रू 51.18 लाख का जुर्माना किया गया।
- सिंगल यूज प्लास्टिक को वर्ष 2022 तक फेस आउट करने के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. शासन द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान दिनांक 04 जून 2019 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
- प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने एवं इसके विकल्पों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्ययोजना लागू की गई है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट रजिस्ट्रेशन तथा ई–वेस्ट प्राधिकार के आवेदन पत्रों के निराकरण हेतु ऑनलाईन व्यवस्था प्रारंभ की गई।

जन–जागृति कार्यक्रम

- विभाग के अंतर्गत कार्यरत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन–सामान्य को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से पूरे प्रदेश में जन–जागृति कार्यक्रम जैसे विद्यालयों में चित्रकला, निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटक, जन जागरूकता रैली का आयोजन, विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों पर कार्यशालाऐं, वाहन प्रदूषण मापन एवं व्याख्यानों का आयोजन, दूरदर्शन/रेडियो के माध्यम से पर्यावरणीय विषय पर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 286 जन–जागृति कार्यक्रम/कार्यशालाऐं आयोजित की गई है।
- वृहद जन–जागृति हेतु पर्यावरण संबंधी जानकारी बल्क मैसेज के माध्यम से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर्स, मीडिया आदि को भेजना प्रारंभ किया गया है।

नर्मदा नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास

नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु बोर्ड द्वारा सार्थक कार्यवाही की गई है। नर्मदा नदी के कैचमेंट में स्थापित 11 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सक्षम दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है तथा इनमें सभी उद्योगों में ''शून्य निःस्त्राव'' की स्थिति है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत होशंगाबाद में कार्यरत मेसर्स सिक्यूरिटी पेपर मिल, जिसका पूर्व में 16 हजार कि.ली./दिन उपचारित जल नर्मदा नदी में निस्सारित होता था, उसकी मात्रा लगभग 2500 कि.ली./दिन हो गई है तथा इस उपचारित निस्त्राव को रिसायक्लिंग/वृक्षारोपण में उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी की सहायक नदी गौर व परियट के किनारे स्थापित डेयरी उद्योगों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की गई है।

अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नर्मदा नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग 50 बिन्दुओं पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2019 में कराई गयी जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों के

अनुसार नदी जल गुणवत्ता भारतीय मानक–2296 के अनुसार 'ए' तथा 'बी' श्रेणी में है। बोर्ड द्वारा औंकारेश्वर में नर्मदा नदी की जलगुणवत्ता मापन हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यरत् है। नदी की जल गुणवत्ता मापन को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया तथा ए.क्यू.आई. को बोर्ड की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। इन शहरों में ध्वनि प्रदूषण नमूने तथा वाहनों का प्रदूषण मापन का कार्य किया गया है ।

मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों का पालन हेतु नगरीय निकायों के माध्यम से नर्मदा नदी के तटों पर पृथक मूर्ति विसर्जन कुण्डों की स्थापना कराई गई है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित जनजागृति कार्यक्रम

विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में पर्यावरण के संरक्षण व जन जागरूकता हेतु कदम उठाने की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 1974 में अपनी शुरूआत से लेकर अब तक पर्यावरण दिवस लोगों तक पंहुचने का एक व्यापक मंच बन चुका है और यह 100 से अधिक देशों में व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाता है। प्रत्येक विश्व पर्यावरण दिवस एक विषय के अंतर्गत मनाया जाता है जो किसी खास पर्यावरण समस्या की और ध्यान केन्द्रित करता है। वर्ष 2019 का विषय (थीम) "बीट एयर पॉल्यूशन" थी।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन–सामान्य को पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पर्यावरण जन–जागृति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों जैसे–कार्यशालाऐ, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, रैली, जल स्त्रोतों के आसपास की साफ–सफाई, प्रदर्शनी, मैराथन दौड़ इत्यादि लगभग 140 कार्यक्रम आयोजित किये गये।

5 जून 2019, विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। आपात अनुक्रिया केन्द्र, राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये सेन्ट्रल क्राइसिंस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक केमिकल से सतत् सम्पर्क रखता है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय, अर्ध–शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन व अन्य प्रदूषण स्त्रोत से किसी प्रकार की आपात स्थिती निर्मित न हो इस हेतु उद्योगों की सतत् निगरानी का कार्य आपात अनुक्रिया केन्द द्वारा पर्यावरण निगरानी केन्द्र के माध्यम से संपादित किया जाता है।

पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना (इनवायरोमेन्ट सर्वेलेस सेन्टर–ESC)

प्रदूषणकारी उद्योगों की सतत् रूप से निगरानी हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना की गई है। सतत् निगरानी से प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उसे नियंत्रण करने एवं उद्योगों को प्रदत्त निर्धारित प्रदूषण के मापदण्डों को पालन करने में सहायता प्राप्त होती है।

सतत् निगरानी के प्रथम चरण में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चुना गया है, एवं सभी उद्योगों का सतत् निगरानी कार्य प्रारंभ हो चुका है। लाल श्रेणी में चिन्हित उद्योगों को भी सतत् निगरानी के दायरे में लाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके अन्तर्गत उद्योगों द्वारा सतत् स्त्रोत उत्सर्जन मापन उपकरण (CEMS), सतत् दूषित जल गुणवत्ता मापन उपकरण (CEQMS),सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन उपकरण (CAAQMS), आई.पी.पी.टी. जेड कैमरा आदि स्थापित किये जाते है जिनके माध्यम से अविरत परिणाम पर्यावरण निगरानी केन्द्र को प्राप्त होते है जिसके द्वारा उद्योगों की प्रदूषण की स्थिति की निगरानी लगातार संभव हो पाती है।

उद्योगों के अतिरिक्त कामन बायोमेडीकल वेस्ट, नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, औद्योगिक निस्त्राव आदि उपचारित करने वाली फेसिलिटीज से होने वाले प्रदूषण की भी सतत् निगरानी इस केन्द्र द्वारा की जाती है।

प्रदेश में वर्तमान में 96 अति प्रदूषकारी उद्योगों में से अधिकांश उद्योगों द्वारा सतत् निगरानी उपकरण स्थापित कर लिए गये हैं इनके अतिरिक्त 84 अन्य उद्योगों द्वारा भी सतत् निगरानी उपकरण स्थापित किये गये हैं। कुल 255 स्त्रोत मॉनिटरिंग उपकरण, 100 सतत् परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग उपकरण, 64 सतत् दूषित निस्त्राव मापक उपकरण एवं 148 आई.पी.कैमरे उद्योगों द्वारा स्थापित किये जा चुके है।

प्रदेश में बोर्ड के द्वारा दस स्थानों, पीथमपुर, मंडीदीप, सिंगरौली, देवास, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, एवं कटनी में परिवेशीय वायु की सतत् निगरानी हेतु उपकरण स्थापित किये गए है। जिसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता अविरत आधार पर प्राप्त होती है। उक्त गुणवत्ता को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल से भी जोड दिया गया है जिससे प्रदेश के साथ ही URL

के माध्यम से इसे व्यापक रूप से देखा जा सकें। उक्त सतत् परिवेशीय वायु मापन उपकरणों द्वारा प्रदूषकों का मापन कार्य किया जाता है।

शहर के आम–जनों को परिवेशीय वायु की गुणवत्ता की जानकारी लगातार प्राप्त होती रहे, इस हेतु भोपाल शहर में कुछ स्थान चिन्हित कर, वहॉ पर डिस्प्ले पेनल के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित करने हेतु व्यवस्था स्थापित की गई है। भोपाल शहर के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों में भी यह व्यवस्था प्रारंभ की जा चुकी है।

पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा सेन्ट्रल सर्वर सॉफ्टवेअर तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से सभी उद्योगों के डाटा को यूनिफार्म करने के लिए एक ही पद्वति से उद्योगों के सभी डाटा को एक सेन्ट्रल प्लेटफार्म पर लाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से सभी उद्योगों के रियल टाइम डाटा ऐनालिसिस किये जा सकते है एवं उद्योगों की ऐक्सीडेन्स रिपोर्ट, केलिब्रेशन रिपोर्ट और डाटा उपलब्धता के साथ ही प्रदेश के उद्योगों को रियल टाइम में ऐनालिसिस किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारीयों एवं मुख्यालय के शाखा प्रमुखों हेतु एक राज्य स्तरीय कार्यशाला भोपाल में दिनांक 15.11.2019. को आयोजित की गई। कार्यशाला के माध्यम से वर्तमान की नई तकनीकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानकारी के साथ ही सेन्ट्रल सर्वर सॉफ्टवेअर के बारे में प्रशिक्षित किया गया।

उद्योगों में तकनीकी जागरूकता बढ़ाने हेतु दिनांक 11.12.2019 को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला "Post Implementation of Real-Time Monitoring Programme in Madhya pradesh" आयोजित की गई। कार्यशाला में सभी प्रदूषणकारी श्रेणी के उद्योगों के प्रतिनिधीयों ने भाग लिया। तकनीकी जानकारी हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था जिससे उद्योग प्रतिनिधीयों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके एवं पर्यावरण संरक्षण में मदद प्राप्त हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत शासन के 'Skill India Mission' के अतर्गत भी एक कार्यशाला दिनांक 15.01.2019. को आयोजित की गई जिसमें विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत युवाओं को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा आम जनों को पर्यावरण की जानकारी एवं परिवेशिय वायु की गुणवत्ता की जानकारी सतत् प्राप्त होती रहे इस हेतु एक एप 'EnvAlert' तैयार किया गया है। इस एप के माध्यम से औद्योगिक परिवेश की गुणवत्ता की जानकारी भी प्राप्त होती है। पर्यावरण से संबधित किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु भी आम जन इस पर्यावरण एप का उपयोग कर सकते है।

इस केन्द्र के द्वारा आगामी योजनान्तर्गत अन्य शहरों में भी CAAQMS स्थापित किया जाना है इसके अतिरिक्त प्रदेश के बडे शहरों में सतत् ध्वनि प्रदूषण मापक एवं चिन्हित महत्वपूर्ण जल स्त्रोतों में भी सतत् निगरानी उपकरण लगाने की योजना है। पर्यावरण निगरानी केन्द्र की समस्त गतिविधियॉ वेबसाइट www.erc.mp.gov.in /esc.aspx पर देखी जा सकती है।

भाग–दो

बोर्ड के वित्त एवं लेखे

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रमुख रूप से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सम्मति व सम्मति नवीनीकरण तथा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले प्राधिकार एवं पंजीयन तथा उनके नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली शुल्क, जल व वायु गुणवत्ता मापन एवं वाहन प्रदूषण मापन से प्राप्त होने वाली राशि आय के प्रमुख साधन है। राज्य शासन से मॉग सख्या–071 के अन्तर्गत शीर्ष क्रमांक 2215 के तहत् स्कीम क्रमांक–8049 के तहत् विकास एवं वैज्ञानिक कार्यो हेतु अनुदान प्राप्त होता है।

बोर्ड के दायित्वों का निर्वहन हेतु संचालित गतिविधियों व दैनांदिनी कार्य के संचालन तथा प्रदेश मे प्रदूषण नियंत्रण हेतु संचालित गतिविधियों मे प्राप्त राशि को प्रमुख रूप से व्यय किया जाता है। बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा 7 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा 7 की अपेक्षा अनुसार वर्ष 2017–18 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन दिनांक 20 फरवरी–2019 को सदन के पटल पर रखा जा चुका है, जिसके अनुरूप बोर्ड की आय रू. 7348.41 लाख तथा व्यय रूपयें 5754.13 लाख है। बोर्ड के वर्ष 2018–19 के लेखों का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा वार्षिक लेखा प्रतिवेदन माननीय विधानसभा पटल पर रखे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

राज्य शासन से वर्ष 2018–19 में मॉग संख्या–071 के अन्तर्गत विभिन्न शीर्ष मदों मे रूपये 1637. 90 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका व्यय सर्वे एवं मॉनिटरिंग, अनुसंधान एवं विकास, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरूस्कार, पर्यावरण प्रशिक्षण/कार्यशाला/जन–जागृति/सूचनाओं का आदान प्रदान, ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम आदि कार्यो हेतु किया गया है।

भाग–तीन

राज्य योजनायें :–

प्रदेश में विकास को पर्यावरणीय अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में संतुलित रखने के अभिप्राय से पर्यावरण नीति बनाई गई है तथा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की महत्वपूर्ण गतिविधियों में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, घरेलू प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता मापन व निगरानी, परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंघन, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अनाश्य एवं अपशिष्ट, ई–वेस्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट इत्यादि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सतत् कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित प्रमुख गतिविधियाँ एवं उपलब्धियों की अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैं :–

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण :–

प्रदेश को औद्योगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने के उद्देश्य से विशेष कदम उठाते हुए राज्य में आने वाले सभी नये उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था लगाने के उपरांत ही उत्पादन की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में वृहद श्रेणी के 675, मध्यम श्रेणी के 1,512 एवं लघु श्रेणी के 19,359 उद्योग/संस्थान/खदाने बोर्ड से सम्मति प्राप्त कर स्थापित हैं। सभी उद्योगों को अधिकाधिक वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना शर्त के रूप में निर्देशित किया गया। इस वर्ष निम्नांकित उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा 50 हजार से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया :–

क्र.	उद्योग का नाम
1.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. सेल्दा, जिला खरगोन
2.	मेसर्स एस.ई.सी.एल., सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल

पूर्व से स्थापित सभी जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराने के साथ–साथ 472 उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा जल उपचार संयंत्र तथा 645 उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना/उन्नयन/सुधार कार्य किया गया।

घरेलू दूषित जल (सीवेज) प्रबंधन :–

मध्यप्रदेश में लगभग 6000 एमएलडी घरेलू दूषित जल (सीवेज) उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 2170 एमएलडी सीवेज नगरीय निकायों से उत्पन्न होता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 04 शहरों में 433 एमएलडी क्षमता के 14 एसटीपी कार्यरत् है। उपलब्ध जानकारी अनुसार उपरोक्त एसटीपी के अतिरिक्त 04 अन्य शहरों में 184.05 एमएलडी क्षमता के 05 एसटीपी भी कार्यरत् है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत 33 शहरों में 1133.13 एमएलडी सीवेज उपचार हेतु 76 एसटीपी निर्माणाधीन है तथा प्रदेश के शहरों में उत्पन्न होने वाले 110.81 एमएलडी सीवेज के उपचार हेतु 28 एसटीपी के प्रस्ताव तैयार किये गये है तथा उनकी निविदा प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार वर्तमान में सीवेज उपचार की कुल क्षमता 617.12 एमएलडी है जो कि नगरीय निकायों

से उत्पन्न हो रहे सीवेज का करीब 28 प्रतिशत है। समस्त एसटीपी क्रियाशील होने की दशा में प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता 1861.06 एमएलडी हो जायेगी, जो कि नगरीय निकायों से उत्पन्न हो रहे सीवेज का लगभग 86 प्रतिशत होगा।

विभिन्न उद्योगों, माइन्स, कॉलोनी, मॉल्स, होटल्स, मैरिज गार्डन, अस्पतालों आदि द्वारा 154 एसटीपी बनाये गये हैं, जिनकी क्षमता लगभग 64 एमएलडी है। इसी प्रकार ग्रामों में भी सीवेज का निस्सारण सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट्स के माध्यम से किया जा रहा है। प्रदेश में घरेलू दूषित जल (सीवेज) के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन हेतु प्रत्येक नगर व ग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उपचारित सीवेज का उपयोग वृक्षारोपण/सिंचाई इत्यादि में होकर शुद्ध जल संरक्षित किया जा सके।

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन :–

अ. प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्रदेश में कुल 383 नगरीय निकाय संस्थान है जिनमें 16 नगर पालिक निगम, 362 नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् एवं 05 छावनी परिषद् हैं। 05 छावनी परिषद् नगरीय प्रशासन विभाग में समाहित नहीं है। 2018–19 की स्थिति मे म.प्र. मे 8000 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है, जिसमें से 7500 मैट्रिक टन प्रतिदिन का संग्रहण हो रहा है,।

कुल सग्रंहित ठोस अपशिष्ट मे से 5000 मैट्रिक टन/दिन अपशिष्ट, कम्पोस्ट बनाने में तथा 40 मैट्रिक टन/दिन अपशिष्ट, वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं 700 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी हेतु उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर में वेस्ट दू एनर्जी प्रोसेसिंग प्लांट 11.5 मेगावाट क्षमता का स्थापित है।

वर्ष 2018–19 की स्थिति मे नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में विभाजित किया जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनाई गई है, जिसमे 6 स्थानों पर कचरे से ऊर्जा (वेस्ट दू एनर्जी) तथा 20 स्थानों पर कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किये जाने की योजना है। जबलपुर, उज्जैन व कटनी में प्लांट कार्यरत है तथा भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर व रीवा में प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रदेश के सभी निकायों में आर्गेनिक, इनर्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि के प्रभावी एकत्रीकरण, परिवहन एवं उपचार पद्धति की नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। प्रदेश के 364 निकायों में घरों से कचरा सग्रंहण की व्यवस्था संचालित की जा रही है। 249 नगरीय निकायों में घरों से निकलने वाले कचरे को उसके स्त्रोत पर ही पृथ्क्कीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई है। प्रदेश के 33 डम्प साईट का चयन कर पुरानी डम्प साईट पर उपस्थित कचरे का बायो–रेमेडियेशन प्रक्रिया अंतर्गत बायो– माईनिंग कार्य किया जा रहा है। जिसमें से 10 डम्प साईट में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

145 निकायों में कम्पोस्टिंग सुविधा को जियो टेग किया जा चुका है। सभी 378 निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से मटेरियल रिकवरी का कार्य किया जा रहा है तथा 112 नगरीय निकायों में स्थायी मटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना की जा चुकी है।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प साईट्स के

आसपास जल एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जाँच की जाती है। वर्ष 2018–2019 में डम्प साइट्स के आसपास के क्षेत्रों के भूमिगत जल गुणवत्ता मापन हेतु 369 एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु 315 नमूनों की जाँच की गई है।

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनजागरूकता तथा प्रचार प्रसार हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वर्कशाप/इन्टरेक्शन मीट आयोजित की गई हैं, जिसमें प्रदेश के सभी 52 जिले सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिपेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा कर समझाईश दी गयी।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन कराने हेतु समय–समय पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आदेश/मार्गदर्शन मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित निकायों को भेजे जाते है। तथा नियमों के पालन बावत् पत्र/निर्देश जारी किये गये है। वर्ष 2018–19 का नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र क्रमांक 663 दिनांक 27.07.2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

ब. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 :–

ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू है, जो किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मटेरियल, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट उत्पन्न होते है। इनके पालन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय की होगी तथा राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन बावत् नीति दस्तावेज तैयार करेगा।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु अपशिष्ठ उत्पन्नकर्ता, सेवा प्रदाता और उनके संविदाकरों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, भारतीय मानक ब्यूरों ओर भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय सरकार के पृथक–पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से निरंतर समन्वय रखा जा रहा है तथा इन अपशिष्टों के प्रंबधन की प्रभावी कार्यवाही हेतु निंरतर प्रयास किये जा रहे है। वर्ष 2018–19 की स्थिति में 655 टन/दिन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न हुआ जो कि एकत्रित कर 336 टन/दिन उपयोग किया गया। इंदौर में 100 टन/दिन का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट वेस्ट प्लांट संचालित है। उज्जैन में 100 टन/दिन तथा जबलपुर में 50 टन/दिन का प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। भोपाल में 100 टन/दिन का प्लांट प्रस्तावित है।

इन नियमों में अलग अलग संस्थानों के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित है :–

अपशिष्टों उत्पन्नकर्ता :–

प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता स्थानीय निकाय द्वारा यथा निदेशित अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण के लिए उत्तरदायी होगा। 20 टन प्रतिदिन से अधिक अथवा 300 टन प्रतिमाह से अधिक निर्माण एवं

विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्थान/सेवा प्रदाता अपशिष्टों के उचित प्रबंधन की एक कार्ययोजना तयार कर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करेगा तथा अपशिष्टों के निपटान के लिये अधिसूचित सुसंगत संदाय का भुगतान करेगा। संदाय की दर का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों के कर्तव्य :–

ऐसे संस्थान जो नगर में जल, सीवेज प्रबंधन, बिजली, टेलीफोन, सड़के, जल निकास आदि सेवायें प्रदान करते है और अपने कार्यकलापों के दौरान विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते है उन्हें छः माह के भीतर ऐसे अपशिष्टों के उचित **प्रबंधन/चक्रीकरण/पुर्नउपयोग** हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना है। सेवा प्रदाता ऐसे सभी अपशिष्टों को हटायेंगे एवं कार्य स्थल आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन साफ करेंगे।

स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य :–

संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना, अपशिष्टों के प्रबंधन के पश्चात् अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करना, परिसंकटमय, विषैले या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित अपशिष्टों का सुरक्षित निस्सारण,प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण हेतु प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबंधन योजना का परीक्षण एवं मंजूरी, अपशिष्टों के उत्पादन संबंधी डाटावेस तैयार करना, विशेषज्ञों से परामर्श कर प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुर्नचक्रण हेतु योजना बनाना, अपशिष्टों के भण्डारण, प्रसंस्करण, पुर्नचक्रण, पुर्नउपयोग इत्यादि गतिविधियॉ प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञ संस्थानों और सिविल सोसाईटीज के माध्यम से शिक्षा एवं संचार को दीर्घकालिक प्रणाली तैयार कर प्रचार–प्रसार करना सम्मिलित है ताकि विध्वंस अपशिष्टों से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु **पिछड़े/ग्रामीण** क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सकें।

राज्य बोर्ड के कर्तव्य :–

नियमों के पालन को स्थानीय निकायों के साथ मॉनिटरिंग, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार देना एवं 31 जुलाई तक वार्षिक प्रतिवेदन/ऑकड़े एकत्र कर राज्य सरकार द्वारा नियत नोडल अधिकरण तथा केन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना है। उक्त अधिनियमों के तहत् नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार लेना है तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वयन कराने की मॉनिटरिंग करना तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भेजना हैं। वर्ष 2018–19 का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र क्रमांक 660 दिनांक 27.07.2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन :–

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 अप्रैल, 2016 से लागू हैं। प्रदेश में अभी तक 2713 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये हैं। इन नियमों के तहत् परिसंकटमय अपशिष्ठ उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्ठों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के कुछ एक उद्योगों ने स्वयं के परिसर में भस्मक तथा केप्टिव एस.एल. एफ. लगाकर अपशिष्ठों के अपवहन की व्यवस्था की है।

मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज व डिस्पोजल फेसेलिटी (सीटीएसडीएफ) का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर के मार्फत किया गया है। यह फेसेलिटी पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट क्रमांक 104, सेक्टर–2, पीथमपुर, जिला–धार में स्थापित है। इस डिस्पोजल साईट पर निम्न सुविधाओं का विकास किया गया है :–

- अपशिष्टों के भण्डारण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्टों के सॉलिडीफिकेशन/स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवॉपोरेशन पोंड।
- अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यों हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग प्लेटफार्म इत्यादि।
- इंसिनरेटर।

इस सुविधा ने नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा मार्च 2019 तक लगभग निम्नानुसार खतरनाक अपशिष्ट का अपवहन किया जा चुका है :–

क्रमांक	विवरण	मात्रा
1	इंसीनरेबल	26,643.18 मैट्रिक टन
2	लेण्डफिल (डायरेक्ट तथा आफ्टर ट्रीटमेंट)	2,41,964.4 मैट्रिक टन

उक्त फेसेलिटी का समय–समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के तहत् प्राधिकार प्राप्त उद्योगों की क्षेत्रवार संख्या :

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल उद्योगों की संख्या
1	भोपाल	462
2	इन्दौर	575
3	धार	51
4	उज्जैन	106
5	गुना	83
6	ग्वालियर	307
7	सागर	39

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	कुल उद्योगों की संख्या
8	सतना	57
9	रीवा	100
10	कटनी	30
11	शहडोल	122
12	सिंगरौली	55
13	जबलपुर	277
14	छिंदवाड़ा	56
15	देवास	115
16	पीथमपुर	249
17	एसईजेड पीथमपुर	29
	योग	**2713**

ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 2010 में ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2011 प्रकाशित किये गये थे जिन्हें वर्ष 2016 में संशोधित करते हुये ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 दिनांक 01 अक्टूबर 2016 प्रकाशित किये गये हैं जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रानिक्स अपशिष्ट का पर्यावरण प्रिय तकनीक से अपवहन किया जाना है। प्रत्येक ई–वेस्ट जनरेटर को, ई–वेस्ट केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत डिस्मेन्टलर्स/रिसाईक्लर्स के माध्यम से ही निष्पादित किया जाना है।

ई–वेस्ट के अंतर्गत अनुपयोगी इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर्स, लेपटॉप टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, एम.पी.3 प्लेयर्स, सी.एफ.एल. आदि को नियमों में अनुसूची–1 में शामिल किया गया है। ई–अपशिष्टों को उपयुक्त व पर्यावरण प्रिय पद्धति से निष्पादित किया जाना आवश्यक है अन्यथा यह पर्यावरण में घरेलू कचरे के साथ मिलकर भूमि एवं जल को प्रदूषित कर मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

नियम–16 के शेड्यूल–1 में विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स उपकरण के पार्ट्स, स्पेयर्स एवं कन्जूमेबल के साथ ही सी.एफ.एल./बल्ब्स को भी सम्मिलित किया गया है। नियमों में ई–वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से प्रदेश में ई–वेस्ट इन्वेन्टराइजेशन के कार्य के साथ–साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के मैन्यूफैक्चरर्स व रिफरबिर्शस को प्राधिकार तथा ई–अपशिष्ट को प्रॉसेस करने वाले डिस्मेंटलर्स एवं रिसाईक्लर्स को प्राधिकार दिया जाना शामिल है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इन नियमों में दिनांक 22 मार्च 2018 को आंशिक संशोधन किये गये हैं जिसमें मुख्य रूप से प्रोड्यूसर, मैनुफैक्चरर, इंर्पोटर, ट्रांसर्पोटर, रिफरबिशर्स, डिस्मेंटलर एवं रिसाईक्लर्स आदि के दायित्वों में संशोधन किये गये हैं।

प्रदेश में अभी तक 01–मैन्यूफैक्चर्स, 01–डिस्मेंटलर, 01–रिफरबिशर, 01–रिसाईक्लर, डिस्मेंटलर एवं रिसाईक्लर के 09 कलेक्शन सेंटर स्थापित होकर कार्यरत् है। इन संस्थाओं द्वारा वर्ष 2018–19 में 534.43 मी.टन ई–वेस्ट का निष्पादन हुआ है।

नियमों के प्रचार–प्रसार हेतु जिंगल्स के माध्यम से जन–जागृति कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं तथा प्रदेश में विगत वर्ष भोपाल, इन्दौर, शहडोल, रीवा व पीथमपुर में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ई–वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड की वेब–साईट http://www.mppcb.nic.in/ewasteng.htm पर उपलब्ध है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन :–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा 20 जुलाई 1998 को जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम 1998 तथा संशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 दिनांक 28 मार्च 2016 को अधिसूचित किये गये है, जो उन सभी संस्थाओं पर लागू हैं जो किसी भी रूप में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का जनन, संग्रहण, ग्रहण,भण्डारण, परिवहन, उपचार, व्ययन (डिस्पोजल) करते हैं। इन अपशिष्ठों को चार श्रेणियों मे बॉटा गया है। उनके उपचार की विभिन्न पद्धतियॉ जैसे इन्सीनरेशन, आटोक्लेविंग,माइक्रोवेविंग, रसायनिक उपचार, कटिंग, श्रेडिंग तथा भूमि मे गहरा गाड़ना आदि विकल्प उल्लेखित हैं।

स्वास्थ्य सेवायें अति आवश्यक होने के कारण अधिकांश चिकित्सालय व निजी नर्सिंग होम आबादी वाले क्षेत्रों मे स्थित हैं एवं इनके कचरे के अपवहन व डिस्पोजल की पृथक से व्यवस्था ना होने के कारण पूर्व मे इनका अपवहन व डिस्पोजल नगरीय ठोस अपशिष्ठों के साथ किया जाता था। वर्ष 1998 से निरन्तर सभी चिकित्सा संस्थानों अथवा इनके स्थानीय संगठनों व संबंधित शासकीय विभागों/चिकित्सालयों से पत्राचार, बैठकें इत्यादि आयोजित कर नियमों से अवगत कराया गया तथा अधिकांश चिकित्सालयों मे स्टॉफ को अपशिष्ठों के पृथक्करण व सुरक्षित एकत्रीकरण से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार शहरों मे भस्मक विधि पर आधारित अपशिष्ट निपटान व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है। निजी क्षेत्रों के साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार एवं निपटान सुविधा (सीबीडब्ल्यूटीएफ) द्वारा भस्मक पद्वति पर आधारित संयंत्र स्थापित कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट के संयुक्त उपचार की व्यवस्था की गई है, जहॉ अस्पतालों से जैव चिकित्सा अपशिष्ट एकत्रित कर उपचार स्थल तक परिवहन किया जाता है एवं उसका विनिष्टिकरण किया जाता हैं। वर्तमान मे निजी क्षेत्र के कॉमन इन्सीनरेटर इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, सतना, रतलाम, सीहोर, उमरिया, ग्वालियर, अशोकनगर एवं सिवनी जिलों मे कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से वर्तमान मे प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 15.8 टन जैव चिकित्सा अपशिष्ट में से 14.5 टन निष्पादन वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा हैं, जो कि लगभग 92 प्रतिशत है।

जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम :–

प्रदेश की पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखने के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय प्रदूषकों की जांच हेतु जल, वायु, ध्वनि एवं वाहन मापन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :–

1. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलो, बाँधो, तालाबों, भू–जल स्रोतों तथा नालों से वर्ष 2018–2019 में कुल 5914 तथा 2019–2020 में दिसम्बर माह तक 5296 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के आधार पर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया गया है।

2. औद्योगिक दूषित जल की मॉनिटरिंग एवं उद्योगो के चिमनियों के उत्सर्जन व निकटवर्ती परिवेशीय वायु की निगरानी

औद्योगिक दूषित जल की निगरानी के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों से वर्ष 2018–2019 में कुल 2217 तथा 2019–2020 में माह दिसम्बर तक 1537 औद्योगिक दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किये गये।

चिमनियों के उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के तहत चिमनियों से वर्ष 2018–2019 में 557 तथा वर्ष 2019–2020 में माह दिसम्बर तक 236 एवं औद्योगिक क्षेत्रों/नगरीय ठोस अपशिष्ठ अपवहन स्थलों एवं 52 जिलों में परिवेशीय वायु के 2018–2019 में कुल 8054 एवं वर्ष 2019–2020 में माह दिसम्बर,2019 तक 5576 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानकों से अधिक होने पर बोर्ड द्वारा उद्योगों को दूषित जल उपचार व्यवस्था एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी बनाये जाने के लिये कार्यवाही की जाती है ।

3. वाहन उत्सर्जन मापन

बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वाहन उत्सर्जन मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2018–2019 में कुल 19342 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2019–2020 में माह दिसम्बर तक 14357 वाहनों का उत्सर्जन मापन किया गया। जिसकी जानकारी परिवहन आयुक्त को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

4. ध्वनि स्तर मापन

बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख नगरों के आवासीय, वाणिज्यिक, शांत तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2018–2019 में प्रदेश में कुल 22057 काउन्ट्स ध्वनि स्तर मापन किये गये एवं वर्ष 2019–2020 में माह दिसम्बर तक कुल 11913 ध्वनि स्तर मापन कार्य किया गया। ध्वनि स्तर मापन की जानकारी संबंधित जिलाध्यक्ष को कार्यवाही हेतु समय–समय पर भेजी जाती है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :–

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त केन्द्र शासन द्वारा भी जल, वायु गुणवत्ता मापन हेतु योजनाये प्रायोजित की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

योजना के अंतर्गत राज्य के 15 शहरों के 40 अलग–अलग स्थानों जिसमें आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित है, उक्त स्थानो पर सप्ताह में दो बार वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साईड ,सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर, रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पर्टीकुलेटमेटर एवं साथ ही प्रचालक जैसे ओजोन, अमोनिया, निकिल, लैंड, आर्सेनिक, कार्बन मोनोआक्साइड, बैंजीन आदि प्रचालकों का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जा रहा है। एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की सख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पैरामीटर	नमूनों की संख्या वर्ष 2018–19	नमूनों की संख्या दिसम्बर 2019 तक
1	सल्फरडाई ऑक्साइड	22185	16004
2	नाइट्रोजन ऑक्साइड	22185	16004
3	पी.एम. 10	12007	8107
4	पी.एम. 2.5	3784	2711
5	ओजोन	15095	11336
6	अमोनिया	19931	14299
7	निकिल	5519	4058
8	लैड	5519	4058
9	आर्सेनिक	3118	1251
10	कार्बन मोनो ऑक्साइड	4630	3669
11	बैंजीन	481	100
12	बैंजो पायरिन	08	14

2. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्वति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आकॅड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थो का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थानों से वर्ष 2018–19 में कुल 50 नमूने तथा वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर तक 37 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषित परिणामो के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतो के पुनरूद्धार हेतु कार्य योजना तैयार कर संबंधित विभागों से प्रदूषण स्तर में सुधार हेतु समन्वय कर कार्यवाही की जा रही है।

3. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्वति (मीनार्स)

यह योजना केन्द्रीय बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतो की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उददेश्य से प्रारम्भ की गई थी। जिसके अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 183 सेम्पलिंग स्थानों से 1658 नमूने तथा वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर तक कुल 242 स्थानों से 1735 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषित परिणामो के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतो के पुनरूद्धार हेतु कार्य योजना तैयार कर संबंधित विभागों से प्रदूषण स्तर में सुधार हेतु समन्वय कर कार्यवाही की जा रही है।

पर्यावरणीय अनुसंधान

बोर्ड के केंद्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2019–20 राज्य बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत निम्न कार्य किये जा रहे है।

(1) मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर के क्लोरीनेटेंड पेयजल में ट्राइहेलोमीथेन की उपलब्धता का अध्ययन।

(2) मध्यप्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र देवास में पर्यावरण का विस्तृत अनुश्रवण।

(3) मध्यप्रदेश की चम्बल नदी की बायोमॉनिटरिंग।

(4) उद्योगों द्वारा प्रवाहित दूषित जल में टॉक्सिीसिटी का अध्ययन।

(5) एयर क्वालिटी असेसमेंट, एमिशन इन्वेंटरी एंड सोर्स अपोरशंमेंट स्टडी ऑफ भोपाल।

बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन

पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को आम जन तक पहुँचाने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इसी संबंध में कार्यालय से संबंधित जानकारी एवं अन्य कार्यों को बेवसाईट www.mppcb.nic.in पर प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे नियमित संधारित किया जाता है। बोर्ड के दैनिक कार्यों के सम्पादन हेतु ऑनलाईन सॉफ्टवेयर संचालित है, जिसके द्वारा संस्थाऐं बोर्ड से सम्मति, प्राधिकार एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है।

एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों, नियमों एंव अधिसूचनाओं जैसेः–

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत–

3.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ठ (प्रदूषण एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016

3.2 जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016

3.3 अपशिष्ठ प्लास्टिक नियम, 2016

3.4 ई–वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016

3.5 ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियम, 2016

आदि के अन्तर्गत सम्मति, प्राधिकार एवं रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में केवल एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। आवेदनकर्ता को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचित करने का प्रावधान है। सम्मति/ प्राधिकार/रजिस्ट्रेशन डिजिटल हस्ताक्षर उपरान्त ऑनलाइन प्रदान किये जाते है। जन साधारण से सम्बधित आवश्यक सूचनाऐं एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के मुख्य पृष्ट पर उपलब्ध है। मुख्य पृष्ट पर निरीक्षण प्रक्रिया, सम्मति प्रदान करने की प्रक्रिया एंव आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में संचालित उद्योगों एवं अस्पतालों

की मासिक एवं दैनिक सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध है, साथ ही कन्सेट रजिस्टर में सम्मति प्राप्त उद्योगों/संस्थाओं की सम्मति संबंधी जानकारी भी जन साधारण के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रोद्यौगिकी सेवाओ को सुदृड़ करने हेतु विगत वर्ष में निम्नानुसार कार्य किये गये है :–

1. SSL (Secure Sockets Layer) प्रमाणपत्र एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में लागू किया गया ।
2. एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का मेप–आई.टी. से सिक्युरिटी ऑडिट कराया गया एवं सिक्युरिटी ऑडिट सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया।
3. आवेदन के शीघ्र निपटान के लिये फीस के साथ आवेदन स्वीकार करने की व्यवस्था की गई।
4. परिसंकटमय अपशिष्ठ प्रंबंधन हेतु ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली को एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया।
5. ई–अपशिष्ट प्राधिकार को एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया।
6. बायोमेडिकल अपशिष्ठ तथा ठोस अपशिष्ठ मॉड्यूल को मुख्य मॉड्यूल (जल, वायु, परिसंकटमय, प्लास्टिक...) में विलय किया गया।
7. बायोमेडिकल अपशिष्ठ के वार्षिक रिटर्न भरने हेतु फॉर्म तैयार किया गया।
8. पेटकोक खपत (आयातित/स्वदेशी) की जानकारी का लिंक सीपीसीबी को दिया गया।
9. मेप.आई.टी. द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर के वेब पोर्टल तथा डेटाबेस को स्टेट डाटा सेंटर पर रखा गया है। इस हेतु सिक्युरिटी ऑडिट कराया गया।
10. एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतनपत्रक प्राप्त करने की सुविधा दी गई है तथा बोर्ड के टेक्निकल प्रेंजेन्टेशन, लोक सुनवाई एवं जल तथा वायु मानिटरिंग की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर संबंधित शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा आई.डी. पार्सवर्ड के माध्यम से अपलोड कर प्रदर्शित की जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. नियुक्ति : 01
2. समयमान वेतनमान : 00
3. संस्थापित विभागीय जांच : 01
4. दायर न्यायालयीन प्रकरण : 03
5. स्थानांतरण : 41

भाग–पाँच

अभिनव योजना

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

1. पॉलिथीन की थैलियों/पन्नियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु 22 मई, 2017 को संशोधन अध्यादेश 2017 लाया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–2/2015/18–5 भोपाल दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर 24 मई, 2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है।

प्रतिबंध को प्रभावी बनाने हेतु जिला प्रशासन तथा नगरीय निकायों के साथ संयुक्त रूप सें दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2019 तक कुल 1328 जन–जागृति अभियान चलाये गये एवं 14380 छापामार कार्यवाही की गयी। अभियान के दौरान लगभग 72.76 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैरी बैग जप्त किये गये तथा नगरीय निकायों द्वारा रू. 51.18 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है।

2. सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरे का सह–दहन

वर्तमान में प्रदेश से लगभग 198.16 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से लगभग 144 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा पुर्नचक्रण में चला जाता है, किन्तु लगभग 54.16 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा पर्यावरण में विद्यमान रहता है। प्लास्टिक अपशिष्ट एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें कोयले की अपेक्षा अधिक केलोरीफिक वैल्यू होती है तथा इसे 850 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर जलाने से किसी भी तरह की हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। प्लास्टिक के उपरोक्त गुणधर्मो को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रदेश के सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरा निष्पादन करने

की व्यवस्था कराई गई है जिसके तहत् 01.01.2019 से 31.12.2019 के दौरान लगभग 38474 मीट्रिक टन तथा प्रारंभ से आज तक 104418 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सीमेंट उद्योगों द्वारा सह–दहन किया जा चुका है। सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक कचरे के सह–दहन से लगभग 192174 मीट्रिक टन कोयले की बचत सुनिश्चित हुई है।

3. सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं मध्यप्रदेश मार्ग संपर्कता योजना द्वारा प्रदेश की ग्रामीण सडकों में बिटुमिन के साथ प्लास्टिक कचरे का वर्ष 2014–15 से उपयोग प्रारंभ किया गया था। सड़क निर्माण में 3.75 मीटर चौड़ी सड़क में 4.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर तथा 3.0 मीटर चौड़ी सड़क में 3.5 मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019–20 अप्रैल 2019 से दिसम्बर, 2019 तक 328.41 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग लगभग 736 किलोमीटर सड़क निर्माण में किया गया हैं।

4. सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध हेतु चरणबद्ध कार्ययोजना

मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में आदेश क्रमांक एफ 11– 13/2019/1/9 दिनांक 04.06.2019 द्वारा डिस्पोजेबिल प्लास्टिक वस्तुएँ, प्लास्टिक कैरी बैग, फूड पैकेजिंग, प्लास्टिक फ्लावर पॉट, बैनर, झण्डे, पैट बॉटल्स, कटलरी प्लेट्स, कप, गिलास, स्ट्रॉ, फोर्कस, स्पून, पाउच/शेसे आदि तथा थर्मोकोल से निर्मित सजावट एवं अन्य सामान आदि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध की चरणबद्ध कार्ययोजना का विमोचन दिनांक 24.09.2019 को माननीय मंत्री, लोक निर्माण एवं पर्यावरण विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया गया।

भाग–छः

प्रकाशन

बोर्ड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस में जागरूकता के अंतर्गत समय–समय पर विभिन्न ब्रोसर, पेम्पलेट आदि के प्रकाशन, दूरदर्शन, रेड़ियो जिंगल, डाक्युमेंट्री फिल्म इत्यादि के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति एवं पर्यावरण सुधार के लिये वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है।

भाग – सात

राज्य की महिला नीति

राज्य की महिला नीति व कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु डॉ. रीता कोरी, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

भाग–आठ

सारांश

राज्य के स्वपोशी विकास को गति देने के उद्देश्य से पर्यावरण नीति बनाई गई है, जिसमें विभिन्न पर्यावरणीय नियमों एवं अधिनियमों का ध्यान रखा गया है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, वाहन प्रदूषण मापन, जल स्त्रोतों की गुणवत्ता मापन, ऑन–लाईन मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से परिवेशीय वायु गुणवत्ता तथा प्रदूषणकारी उद्योगों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश को औद्योगिक प्रदूषण के खतरे से बचाने हेतु, सभी नवीन उद्योगों को पूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था करने एवं अधिकाधिक वृक्षारोपण उपरान्त ही उत्पादन अनुमति दी जाती है।